



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 18, 2016/वैशाख 28, 1938

No. 356]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 18, 2016/VAISAKHA 28, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2016

सा.का.नि. 531(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली-110001 (ई-मेल: abhay.damle@gov.in) ऊपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2016 है।
- (2) इन नियमों में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 125ग के, उपनियम (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु इस नियम के उपबंध दो चरणों में कार्यान्वित होंगे"।

प्रथम चरण में, एआईएस 052 (आरईवी.1)-2008 के उपबंध, नीचे सारणी 1 में दिए गए पैरामीटर और अपेक्षाएं को छोड़कर, 1 अक्टूबर, 2016 को और उसके पश्चात् लागू होंगे।

दूसरे चरण में, जो समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस-052 (आरईवी.1)-2008 के उपबंध, हैं और नीचे सारणी-1 में दिए गए पैरामीटर तथा अपेक्षाएं, 1 अक्टूबर, 2017 को और उसके पश्चात् लागू होंगे।

सारणी-1

(दूसरे चरण के लिए एआईएस:052 (आरईवी-1) के अतिरिक्त तकनीकी उपबंध)

क्रम सं.	जांच/पैरामीटर की प्रकृति	एआईएस-052 (आरईवी.1) के विनिर्दिष्ट खंडों की अपेक्षाएं
(1)	(2)	(3)
1.	विस्तार और परिभाषा (जैसा लागू हो)	1.0
2.	बाडी संरचना सामर्थ्य	3.1
3.	बाडी संरचना स्थिरता	3.2
4.	खिड़की प्रतिधारण	3.6
5.	खिड़की की चौखटें	3.6.5.5
6.	विंड स्क्रीन वाईपिंग प्रणाली और चालक की दृष्टि का क्षेत्र	3.10
7.	परीक्षण पद्धति (जैसा लागू हो)	अध्याय 6
8.	डिप्ड-बीम हेड लैंप के लिए ऊर्ध्व अभिविन्यास	उपाबंध-1, शीर्षक सहित सारणी "सुरक्षा क्रांतिक घटकों/प्रणालियों का ब्यौरा।"
9.	आसर लंगर सीर	

[सं. आरटी-11028/02/2013-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. (अ), तारीख को संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2016.

G.S.R. 531(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) are hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, to these draft rules may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, New Delhi-110001, (Email: abhay.damle@gov.in) within the period specified above;

The objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period so specified, will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (____ amendment) Rules, 2016.
(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 125C, for sub- rule (1), for the proviso, the following shall be substituted, namely:-
“Provided that the provision of this rule shall be implemented in two phases.
In first phase, the provisions of AIS 052(Rev. 1) - 2008 excluding the parameters and requirements given in Table-1 below, shall be applicable on and after 1st day of October 2016.
In second phase, the provisions of AIS-052(Rev. 1) – 2008, as amended from time to time, and the parameters and requirements given in (Table-1) below, shall be applicable on and after 1st day of October 2017.

TABLE -1**(Additional Technical Provisions of AIS: 052(Rev-1) for second phase)**

Sr. No.	Nature of Test / Parameters	Requirements of Specific Clauses of AIS-052 (Rev.1)
(1)	(2)	(3)
1.	Scope and Definitions (As applicable)	1.0
2.	Body Structure Strength	3.1
3.	Body Structure Stability	3.2
4.	Window Retention	3.6
5.	Window Frames	3.6.5.5
6.	Wind Screen Wiping System and Driver's field of Vision	3.10
7.	Test Methods (As applicable)	Chapter 6
8.	Vertical orientation for dipped beam - head lamp	Annexure I, Table with title "Details about Safety Critical Components / Systems."
9.	Seat Anchorages	

[No. RT-11028/02/2013-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note :- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. _____(E) dated the _____